ISSN 0973-8541, HUMANITIES AND DEVELOPMENT, VOL.19, No.2, April – June,2024/43

''संसदीय व्यवस्था में विपक्ष का उदभव एवं विकास''

वेद प्रकाश, शोधछात्र–राजनीति विज्ञान विभाग, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
डॉ0 कुमुद रंजन, शोध निर्देशक–एसो0प्रोफे0, राजनीति विज्ञान विभाग,
का0सु0 साकेत पी0जी0 कालेज, अयोध्या।

https://doi.org/10.61410/had.v19i2.188

शोध सारांश

संसदीय लोकतंत्र एक ऐसी लोकतांत्रिक प्रणाली है, जिसमें विधायी शक्ति और कार्यकारी शक्ति का वास्तविक नियंत्रण एक प्रतिनिधि निकाय के पास होता है। लोकतंत्र की वैधता विधायिका के विश्वास को प्राप्त करने की शक्ति को हासिल करता है जिसमें प्रति उसकी जवाबदेही भी होती है। वास्तव में प्रतिनिधि निकाय का गठन चुनावों के माध्यम से होता जिसमें देश की जनसंख्या के व्यापक बहुमत द्वारा स्वतंत्र या समान प्रकार से प्रतिभाग करने की अपेक्षा की जाती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष ही सरकार की नीतियों एवं कार्यों के प्रति पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सनुनिश्चित करने हेतु सरकार को बाध्य करता है।

शब्द संकेत – डेमोक्रेसी, विधायिका, भागीदारी, विचाराधारा, संविधान, सुशासन मूल सिद्धान्त, उच्चतम आदर्श, निष्पक्षता

शोध–पत्र

एक जीवन्त लोकतंत्र में विपक्ष किसी भी सरकार की मनमानी पर अवरोध उत्पन्न करता है। सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण और संतुलन स्थापित करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र को अंग्रेजी भाषा में 'डेमोक्रेसी' कहा जाता है। डेमोक्रेसीह दो शब्दों से मिलकर बना ह। युनानी भाषा के 'डिमोस' एवं 'क्रेटिया' शब्द को जोड़कर इस शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। डेमो का अर्थ 'जनता' तथा 'क्रेटिया' का अर्थ 'शासन' होता है। अतः डेमोक्रेसी या लोकतंत्र को जनता का शासन कहा जाता है। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि ''लोकतंत्र जनमा, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन'' अर्थात् लोकतंत्र में सत्ता जनता के पास होती है। जनता की अनुमति से ही शासन होता हैं जनता की प्रगति ही शासन का एकमात्र लक्ष्य माना जाता है।'' इस देश में लोकतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई जब पहली बार भारत का संविधान लागू किया गया। जिन सिद्धान्तों पर इस देश की लोकतांत्रिक सरकार आधारित है वह है स्वतंत्रता, समानता बन्धुत्व और न्याय, भारत में एक राज्य सरकार और एक केन्द्र सरकार है। जिसका आशय है कि यह सरकार एक संघीय स्वरूप है। सरकार अर्थात् केन्द्र और राज्य क्रमशः लोकतांत्रिक रूप से चुनी गयी है। सरकार और संसद के दो सदन –राज्य सभा और लोकसभा का अनुसरण करते हैं।

लोकतंत्र बाह्य शक्ति के सहारे खड़ी व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह नैतिक एवं आत्मिक शक्ति के सहारे स्थापित रहने की प्रयत्न शीलता का परिणाम है। लोकतंत्र को जीवन पद्धति एवं शासन पद्धति भी कहा जा सकता है। यह सत्य है कि अनेकों देशों में लोकतंत्रीय शासन आदर्श लोकतंत्र की स्थापना तक पहुंचने हेतु अपनी शासन प्रणाली की संरचना, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक ऐतिहासिक एवं राजनैतिक प्रस्थितियों के सर्वश्रेष्ठ रूप को प्रदर्शित करते हैं। इसी आधार पर दुनिया के लोकतंत्र

का स्वरूप निर्मित एवं संगठित है। यह सत्य है कि देश–काल और परिस्थिति के अनुसार इनमें कुछ भेद एवं विविधता होना स्वभाविक भी है, लोकतंत्र के दो स्वरूप पाये जाते है – प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष।

प्रत्यक्ष लोकतंत्र का स्वरूप –

प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिकों को नियम बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। निर्णय लेने की शक्ति होती है, और वे शासक होते हैं। वह नीतिगत निर्णय लेने की क्षमता रखते है। जनता के निर्णय को सरकार द्वारा स्वीकार करना पड़ता है। उन्हें विद्यायिकाओं की सहमति की आवश्यकताओं नहीं पड़ती है। आधुनिक युग में लोकतंत्र का यही स्पष्ट स्वरूप है। एक वास्तविक लोकतंत्र में प्रत्येक कानून, विधेयक एवं न्याय के मुद्दे पर सभी लोगों द्वारा मतदान किया जाता है। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र की हमेशा एक प्रतिनिधि लोकतंत्र के साथ तुलना की जाती है।

अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का स्वरूप –

अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का आशय है जिस शासन प्रणाली के अन्तर्गत जनता स्वयं सरकार में समाहित न होकर अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन करवाती है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रतिनिधयात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रकार के लोकतंत्र में सम्पूर्ण फैसले जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में बार–बार चुनाव रेफरेंडम नहीं करवा पड़ता बल्कि एक निश्चित अवधि के पश्चात् ही चुनाव होते है। इस प्रकार के लोकतंत्र में प्रतिनिधि चुने जाने के पश्चात् जनता के प्रति उनकी जवाबदेही समाप्त हो जाती है। इस प्रकार का लोकतंत्र भारत जैसे देशों में देखा जा सकता है।

भारत में लोकतंत्र का इतिहास –

भारत में लोकतंत्र का इतिहास लम्बा रहा है। प्राचीन काल में गणतंत्रीय व्यवस्था हमें किसी न किसी रूप में अवश्य ही दिखाई पड़ती है। भारत का गणतंत्र और यूरोप के एथेन्सी लोकतंत्र का इतिहास लगभग दो हजार वर्षों से अधिक का रहा है। नागरिक समाज निर्माण करने की चाह ने मानव को लोकतांत्रिक प्रणाली की ओर बढ़ने हेतु प्रेरित किया है। लोकतंत्र में ही सर्वसाधारण को अधिकतम भागीदारी की कल्पना की जा सकती है। लोकतंत्र एक अत्यन्त बहुमूल्य शासन प्रणाली और मुक्त जीवन की विधि भी कहा जा सकता है। उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में जिस लोकतंत्र की कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी उसका परिणाम आज हमारे समक्ष दिखाई पड़ता है।

लेकतंत्रीय व्यवस्था में जनता की सम्प्रभुता को सर्वोच्च कहा गया है। लोकतंत्र जीवन का समग्र दर्शन भी है जिसकी व्यापक परिधि में मनुष्य के सम्पूर्ण पक्ष को समाहित किया जा सकता है। जब हम लोकतंत्र के इतिहास की ओर देखते है तो यह स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र का जन्म यूरोपीय देशों में 13वीं शताब्दी के पश्चात् हुआ। फ्राँस की क्रान्ति के पश्चात आधुनिक लोकतंत्र का आकार हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ। 19वीं शताब्दी तक आते–आते अधिकांश यूरोपीय देशों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार कर लिया था। भारत प्राचीन काल से ही इस व्यवस्था का समर्थक रहा है। इसकी कल्पना को सार्थक होते हुए हम स्वंत्रता के पश्चात् 26 जनवरी 1950 को देखते है। स्वतंत्रता के पश्चात् इस देश में एक ऐसे संविधान का निर्माण हुआ जो न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बन्धुत्व के मूल सिद्धान्तों को स्वीकार करता है। संविधान के माध्यम से मानवता के उच्चतम आदर्श प्रशासनिक नीति के रूप में समाहित किया गया है। स्वतंत्रता काल में भारत की कुल जनसंख्या लगभग 36 करोड़ थी। इतने विशाल देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना में इस देश की सामाजिक, आर्थिक

एवं राजनीतिक समस्याओं के साथ जाति, धर्म, भाषा के साथ–साथ सभ्यताओं की जटिलताओं को भी समाप्त करना था, तत्कालीन सरकार द्वारा इसके समाधान का भी प्रयास किया गया था।

लोकतंत्र के उद्देश्य –

यह सर्वविदित है कि भारत दुनिया सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। भारत में लोकतंत्र 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के पश्चात् स्वीकार किया गया। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लम्बा लिखित संविधान भी है। संविधान में संविधान में लोकतंत्र की सम्पूर्ण व्याख्या की गई है। लोकतंत्र के कुछ मौलिक उद्देश्य निम्नवत् है :–

1. जनता की सम्पूर्ण और सर्वोच्च भागीदारी
2. उत्तरदायी सरकार
3. जनता के अधिकारों एवं स्वतंत्रा की रक्षा सरकार का कर्तव्य होना।
4. सीमित तथा संवैधानिक सरकार
5. भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा, नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय का वायदा।
6. निष्पक्ष तथा आविधिक चुनाव
7. वयस्क मताधिकार
8. सरकार के निर्णय में सलाह, दबाव तथा जनमत द्वारा जनता की भागीदारी
9. जनता के द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधि सरकार
10. निष्पक्ष न्यायालय
11. कानून का शासन
12. विभिन्न राजनीतिक दलों तथा दबाव समूहों की उपस्थिति।
13. सरकार के हाथ में राजनीतिक शक्ति जनता की अमानत के रूप में,

लोकतंत्र को विश्व के सबसे अच्छे शासन प्रणाली के रूप में स्वीकार किया जाता है। यही कारण है कि इस देश के संविधान निर्माताओं और नेताओं ने शासन प्रणाली के रूप लोकतांत्रिक व्यवस्था का चयन किया था।

विपक्ष की भूमिका –

संसदीय लोकतंत्र की कोई भी कल्पना एकाधिक राजनीतिक दलापें के अभाव में अधूरी रह जाएगी। यदि संसद या विधानसभा में एक ही राजनीतिक दल हो और वही दल सरकार को चलाए तो कुछ ही समय वह सरकार दल हो और वही दल सरकार को चलाए तो कुछ ही समय में वह सरकार पुंग अथवा निष्क्रिय हो जायेगी। क्योंकि यदि वह कोई गलती भी करेगी तो उसकी गलती बताने वाला कोई भी नहीं होगा। इसका एकमात्र विकल्प राजशाही या तानाशाही है। मानव समाज मत–मतान्तरों से ओत–प्रोत रहता है। किसी भी विचारधारा या योजना है। किसी भी विचारधारा या योजना में अच्छे और बुरे सही और गलत, लागू हो सकने वाले और असंभव, दानों पहलू होते है और सही दिशा में चलाए रखने या लागू करने के लिए दूसरे पहलू को सदैव ध्यान में रखना आवश्यक है। यहीं पर विपक्ष की भूमिका का उद्भव होता है।

विपक्ष का अर्थ –

विपक्ष शब्द लैटिन भाषा के 'ऑपोजिशियों से निकला है। जिसका अर्थ होता है। 'विरोध करना'। उन्नीसवीं सदी के दौरान व बीसवीं सदी के प्रथम तीन दशकों के विपक्ष ब्रिटिश संविधानिक

प्रणाली का एक स्थापित तथा पूर्ण रूप से स्वीकार्य अंग हो गया था। किन्तु इसे विधिवत् मान्यता केवल सन् 1937 में मिली जब ब्रिटिश संसद ने राज्य के मंत्रियों का अधिनियम पास किया और उसमें विपक्ष के नेता को दो हजार पाउण्ड प्रतिवर्ष का वेतन देना स्वीकार किया और यह वेतन राजकोष से देना तय हुआ। विपक्ष के नेता की परिभाषा इस प्रकार थी। ''हिज मैजेस्टी की सरकार के विरोध में जो भी दल हो उसका नेता या दल सदस्य संख्या में सबसे बड़ा हो। यदि इस बात पर संशय हो कि कौन से विपक्षी दल की सदस्य संख्या सर्वाधिक है तो अध्यक्ष का निर्णय मान्य होगा।'' यहाँ यह स्मरणीय है कि कनाडा और आस्ट्रेलिया में इससे पूर्व, अर्थात् सन् 1905 व 1920 में विपक्ष को सरकारी तौर पर मान्यता दे दी गयी थी और उसे वहां के संविधानों में एक वैधानिक रूप दे दिया गया था।'' धीरे–धीरे अन्य देशों में भी विपक्ष को विधिवत मान्यता दे दी गयी। भारतीय लोकसभा में सर्वप्रथम सन् 1989 में विपक्षी दल व उसके नेता को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई।

प्राचीन भारत में महाभारत के शांतिपर्व में राजा के लिए 'सर्वभूतहितरेत' का आदर्श प्रतिपादित किया गया है, और पैतृक रूप में राज्याधिकार प्राप्त राजा भी न तो लोकमत की अपेक्षा कर सकता था न अपनी मंत्रीपरिषद की। अयोग्य तथा अत्याचारी राजा गद्दी से उतार दिये जाने के उदाहरण भी मिलते है। उसी क्रम में राजा या शासन के प्रति विद्रोह करने पर राजद्रोह के अपराध में मृत्यु दण्ड, देश निकाला आदि दंड दिए जाते थे। आज भी असंवैधानिक तरीके से राज्य के विरूद्ध साजिश करने पर मृत्युदण्ड या भारी कारावास की सजा का प्रावधान है। किन्तु दूसरी और पिछली दो शताब्दियों में शासन के विपक्ष को न केवल मान्यता प्रदान करना बल्कि उसके नेता को वेतन और भत्ते और अन्य सुविधाएं प्रदान करना हमारी एक बहुचर्चित लोकप्रिय मान्यता को कार्यान्वित करने का प्रमाण है जिससे कहा गया है कि 'निन्दवन नियरे राखिये आंगन कुटी ध्वाया' विपक्ष हमारे सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन की व्यापक सहनशीलता का एक ज्वलन्त उदाहरण है।

गिलबर्ट कैम्पियन के अनुसार 'विपक्ष' की परिभाषा इस प्रकार है ''विपक्ष तत्समय अल्पमत वाला वह दल है जो एक इकाई के रूप में संगठित हो, जिसे सरकारी मान्यता मिली हो, जिसमें कामकाज चलाने का अनुभव हो, और जो उस समय सरकार बनाने के लिए तैयार हो जब वर्तमान मंत्रिमण्डल ने सदन में अपना विश्वास खो दिया हो। विपक्षी की अपनी एक निश्चित नीति होनी चाहिए और वह केवल सत्ता हथियाने की गरज से विध्वंसक रीति से विरोध करके खेल को बिगाड़ने का उपक्रम न करें।''

संसदीय विपक्ष का प्रादुर्भाव सत्रहवी सदी में हो गया था, पर उसे एक 'संस्था' या विधिवत् निकाय के रूप में मान्यता बहुत बाद में दी गयी। सन् 1826 में ब्रिटेन में संसदीय विपक्ष को 'महामहिम का सर्वामिभक्त विपक्ष नाम दिया गया। सन् 1905 व 1920 में क्रमशः कनाडा तथा आस्ट्रेलिया में विपक्ष को औपचारिक मान्यता दी गयी। सन् 1937ई0 में ब्रिटेन में ''शाही मन्त्रियों का अधिनियम पारित हुआ जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ विपक्ष नेता को भी मान्यता व वेतन दिया गया। सन् 1946 में दक्षिण अफ्रीकी संघ में विपक्ष को मान्यता दी गई।

भारत में विपक्ष –

भारतीय विपक्ष को पहली बार लोकसभा में सन् 1969 में मान्यता दी गई जबकि नवम्बर 1969 में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी में हुए विभाजन के परिणामस्वरूप कांग्रेस (संगठन) नामक एक ओर पार्टी गठित हुई और उस पार्टी को विपक्ष दल के रूप में और उसके नेता को विपक्षी नेता के रूप में मान्यता दी गयी। इससे पहले स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश विधान सभा में विपक्षी दल को मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री की तरह वेतनमान तथा सुविधाएं दी गई। विपक्ष के नेता मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री की तरह वेतन तथा सुविधाएं दी गई। विपक्षी के नेता मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री का दर्जा मध्य प्रदेश में 1972 में व बिहार में 1973 में प्रदान किया गया। लोकसभा में यद्यपि विपक्ष को मान्यता 1969

में दे दी गयी थी। किन्तु उसके नेता को वेतन व अन्य सुविधाएं 1977 के एक अधिनियम के द्वारा दी गयी।

किसी भी राष्ट्र में सत्ता और जनता के बीच विशिष्ट साझेदारी और सहयोग की रेखा लोकतन्त्र की स्थापना का आधार होती है। ''सत्ता अपनी सुस्थिरता चाहती है और जनता सत्ता से सुशासन की आकांक्षा करती है। सुशासन के बिना राजसत्ता की सुस्थिरता सम्भव नहीं हो पाती है।'' शासन की सुस्थिरता न अकारण होती है और स्वतः। कभी–कभी उनका क्रियान्वयन और कभी–कभी यह दोनों की अस्थिरता के कारण बन जाते है। भारतीय राजनीति के पिछले दो दशक इसी दलदली दिशा के दिशाहीन दशक है। राजेन्द्रपुरी के शब्दों में ''जब दशे के शासक राजनैतिक श्रेष्ठता के मार्ग पर चलने लगे, तब जनता एक मूक दर्शक नहीं रहती। वह दूसरे हजारों रास्ते सीखती है।''

नेहरू जी ने जिस लोकतंत्र को अपनी सम्पूर्ण निष्ठा ज्ञान और अनुभव से अभिसंचित करने का प्रयास किया था ऊपरी तौर पर उसमें बड़ी कमजोरियाँ नहीं दिखाई दे रही थी लेकिन आर्थिक नीतियों ने गाँधी के आर्थिक दर्शन को बदला जिसके परिणाम स्वरूप देखते– देखते निर्धन भारतीय लोकतंत्र में एक भोग विलासी संस्कृति का जन्म हुआ। सादगी के आचरण नेताओं को प्रिय लगने बन्द हो गए। लूट–खसौट, बेईमानी भ्रष्टाचार से जुड़े हुए राजनेताओं और मुख्यमंत्रियों के प्रकरण दिखने लगे। ''भारतीय राजनीतिक आकृष्ट भ्रष्टाचार में डूबी राजनीति है।''

विगत वर्षो का इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि भारत में संसदीय संस्थाएं क्रियाशील हैं, किन्तु उनके अंग के रूप में विरोधी दल की व्यक्तिपय महत्वपूर्ण विशेषताएं उभरी है जो निम्नलिखित है –

- भारतीय लोकसभा में मान्य विपक्षी दल का अभाव रहा है किसी भी दल को पर्याप्त संख्या यानि 54 सदस्य अर्थात् सदन की कुल संख्या का 10वां भाग नहीं प्राप्त हो सका था कि उसे अधिकारिक मान्यता प्राप्त हो, चतुर्थ लोकसभा में संगठन कांग्रेस को ही कुछ समय तक मान्य विपक्षी दल माना गया था। पांचवी लोकसभा में मान्यता प्राप्त विपक्षी दल नहीं था छठी लोकसभा में प्रारम्भ में कांग्रेस और जनता पार्टी ने मान्यता प्राप्त विपक्षी दल के रूप में कार्य किया। श्री यशवन्त चहाण, सी0एम0 स्टीफन तथा जगजीवन राम को क्रमशः विपक्षी दल के नेता का मान्यता दी गयी थी। इसी समय सातवी लोकसभा में किसी भी दल को विपक्षी दल की मान्यता का दर्जा प्राप्त नहीं है।
- भारत में विपक्षी दल अनुत्तरदायी भी है। सत्ता प्राप्त करने के लिए विपक्षी दलों में लोकतन्त्र की रक्षा के नाम पर आपस में गठबंधन करके देश में अराजकता फैलाने में संकोच भी नहीं किया और संसद में राजनीतिक दलों में मूलभूत सिद्धान्तों पर एकता नहीं पायी जाती। भारतीय संसद में प्रतिपक्षी का प्रभाव क्षीण है। प्रतिपक्ष उतना मुखर जागरूक, आत्मनिष्ठ और प्रमुख नहीं है जितना तीसरी और चौथी लोकसभा में था। आज संसद केवल सीमित सर्तकता की साधन रह गयी और अब संसद का स्वर पहले जैसा प्रबल नहीं रहा है और वह सरकारों को पहले की भांति अनुशासित रखने में असमर्थ है।
- भारत में विपक्ष को अपनी भूमि बदलनी होगी। उसे जनता को शिक्षित करना तथा उन्हं इस विश्वास से लेना होगा कि विपक्ष सत्तारूढ़ दल की तुलना में जनता की सेवा अच्छे ढंग से कर सकता है। विपक्ष द्वारा की जाने वाली सत्ता दल की आलोचना ऐसी होनी चाहिए कि यदि उसे सरकार चलानी पड़े तो उसकी अपनी नीति ही उसके कार्यकलापों से खण्डित न होती हो। सत्तारूढ़ दल को भी विपक्ष के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। अतः सत्तारूढ़ दल को विपक्ष से राष्ट्रीय मामलों पर परामर्श करना चाहिए तथा विपक्ष की बातों को ध्यान से

सुनना चाहिए ताकि संघर्ष की राजनीति के स्थान पर सहयोग की राजनीति की शुरूआत हो सके।

निष्कर्ष –

संसदीय प्रजातन्त्र के विकास के लिए सत्तापक्ष के साथ ही एक सशक्त, सुदृढ़ विपक्षी दल का होना अत्यन्त आवश्यक है। सुदृढ़ विरोधी पक्ष के अभाव में संसदीय प्रजातन्त्र बिखर जाता है। संसदीय प्रजातन्त्र में शक्तिशाली विपक्ष की आवश्यकता सरकार की नीतियों की आलोचना तथा विकल्प प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्य होती है। सामान्यतः लोकतन्त्र में विपक्ष की भूमिका रचनात्मक होती है। यद्यपि विपक्ष सरकार के उन सभी कार्यों को जहां समर्थन की जरूरत है सर्म दे और जहां विरोध होना चाहिए विरोध करे। लेकिन भारत में विपक्ष अपनी भूमिका ठीक प्रकार से नहीं निभा रहा है। भारत के संसदीय लोकतंत्र में सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि यहां सशक्त विपक्षी का अभाव है। अभी भी हमारे देश्ज्ञ की दलीय व्यवस्था सिद्धान्तों के आधार पर नहीं वरन् व्यक्ति विशेष पर आधारित है दल का विभाजन या गठबंधन सिद्धान्तों के आधार पर नहीं बल्कि राजनीति हितों के लिए किया जाता है। लोकतंत्र में विपक्ष का मुख्य कार्य लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए लेकिन भारतीय विपक्ष की भूमिका निराशजनक रही है। वैसे कभी–कभी भारतीय विपक्ष अपनी जगता का अनुभव करता रहा है। कई बार विपक्ष की सजगता के कारणा ही स्थिति संभल सकी है।

सन्दर्भ सूची –

1. जी0पी0 नेमा, राजनीतिक समाजशास्त्र, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, 2005 नई दिल्ली पृ0–388।
2. कोठारी, रजनी, कास्ट अन इण्डियन लॉलिटिक्स, नई दिल्ली ओरियेन्ट लोगमैन लि0, 1685
3. कौशिक, पीताम्बर दास, ''उत्तर प्रदेश विधानसभा में टर्म इलैक्शन आव मई 1980 एण्ड इम्पैक्स'' पालिटिकल सांईस, रिव्यू, 1989
4. मिश्रा के0पी0 फैशनेलिज्म इन यू0पी0 कांग्रेस में इकबाल नारायण स्टेट पालिटिक्स इण्डिया, मेरठ मीनाक्षी 1981।
5. आर0जी0 गैटल : पालिटिकल साइन्स, दि वर्ल्ड प्रेम प्रा0लि0 कलकत्ता 1950, पृ0–1992
6. 15 जी0पी0 नेमा, राजनीतिक समाजशास्त्र, यूनिवर्सिटी पल्किेशन नई दिल्ली 2007, पृ0 340–341
7. साप्ताहिक हिन्दूस्तान, 16 फरवरी 2011 विशेषांक।
8. डॉ0 सुभाष कश्यप, हमारी संसद, राधा पब्लिकेशन, 2015, पृ0–1
9. जे0 हार्वे एण्ड एल0बेदर – द ब्रिटिश कांस्टीटूयशन लदन 1965 पृ0 150–151 ।
10. रेण सक्सेना, 'द रोल ऑफ ओपोजीशन इन इण्डिा पोलिटक्स, अनमोल पब्लिकेशन दिल्ली, 1986, पृ0–2 ।
11. सुशील चन्द्र सिंह, संसदीय सरकार में विरोधी दल का स्थान, लोकतंत्र समीक्षा, अप्रैल 2005 पृ0–29।